12·20-1|2 hrs.

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 1965

(As passed by Rajya Sabha)

Secretary: Sir, I lay on the Table of the House the Banaras Hindu University (Amendment) Bill, 1965, as passed by Rajya Sabha.

Mr. Speaker: The Members can have the copies of the Bill.

12.21 hrs.

Re: QUESTION OF PRIVILTGE

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रधान मंत्री के खिलाफ इच्छोगिल नहर के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का सवाल उठा रहा हूं। वह बिल्कुल तथ्यों पर है। पहला तथ्य यह है कि क्या इच्छोगिल नहर सतलुज नदी के नीचे बहती है या सतलज नदी के ऊपर। मैंने अपने भाषण में कहा था कि इच्छोगिल नहर, खेमकरण और कसूर के इलाके में सतलज नदी के नीचे बहती है। प्रधान मंत्री साहब ने अपने जवाब में कहा कि वह नहर ऐसी है जिसके नीचे नदी बहती है और वह नदी के ऊपर बहती है। तो पहला सवाल तो यह है कि कौन किसके ऊपर बहती है, नदी या नहर। अगर यह साबित हो जाये और माननीय सदस्यों को इस सवाल को बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये—अगर यह साबित हो जाये ....

अध्यक्ष महोदय: एक सवाल हो गया, अब दूसरी बात।

डा० राम मनोहर लोहिया: दूसरी बात यह कि अगर इच्छोगिल नहर सतलज नदी के नीचे से बहती है तब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के पलटनी नेतृत्व के लिये यह सम्भव था कि वह उसके पानी को रोक करके अपनी पलटनों को खुफिया तौर से ऐसे ढंग से जिसमें भारतीय पलटनों को पता नहीं चलता, उस सुरंग से ले जाते। फिर भी प्रधान मंत्री ने इन्कार किया। तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपना प्रस्ताव पढ़ कर सुना दूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव पढ़ने की जरूरत नहीं। आपका जो बयान है उसी को पढ़ेंगे या कुछ और। अगर वही पढ़ेंगे तो मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

आपने इसमें लिखा है कि :

"डा० राम मनोहर लोहिया .....

डा० राम मनोहर लोहिया: मैंने डाक्टर नहीं लिखा है। मैं यह कभी नहीं करता। मैं डाक्टर को बिलकुल नापसन्द करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जब मुझे कहना हो तो मुझे कुछ आदर और सत्कार से ही कहना चाहिये, आप चाहे जैसा सलूक करें।

> "उसके साथ साथ दूसरी बात बताऊं कि कसूर और खेमकरण के बीच में एक सुरंग बनी हुई है जिस सुरंग का इस युद्ध से बड़ा जबर्दस्त संबंध था।"

माफ कीजिये, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ सकता हूं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकता।

> "जिस सुरंग के पानी को बन्द करके पाकिस्तान ने अपनी पलटनें छिपा कर ऐसे भेजीं कि भारत की पलटनें फंस गईं। खेमकरण और कसूर वाली जगह हमारी"

इसमें एक जगह खाली है। इसमें "मात" नहीं लिखा। अगर "मात" मान लें तो है :

> "हमारी मात हुई तो उसका कारण यह इच्छोगिल नहर की सुरंग था।"

और प्रधान मंत्री जी ने कहा :

> "बाकी चीजें नहीं हैं जो टनल वगैरह के बारे में कहा गया उसे डा० राव ने एक्सप्लेन किया ही होगा।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) "एक्सप्लेन" अंग्रेजी है।

Mr. Speaker: I am reading the statement.

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : 'एक्सप्लेन' की हिन्दी क्या है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जब प्रधान मंत्री हिन्दी बोलते हैं तब अंग्रेजी बोलने की आदत है । और जब अंग्रेजी बोलते हैं तब हिन्दी ।

अध्यक्ष महोदय : "अंडरग्राउंड" कोई नीचे से कोई पंसेज बनाया है ताकि उसके नीचे से टैंक चलाया जाये डा० राव ने उसे एक्सप्लेन किया है और बतलाया है कि वह बात नहीं है । बिल्कुल एक नार्मल तरीके से जो एक कनाल बनती है और जितनी रिवर्स उसके नीचे से पास करती हैं तो उस तरीके का जो अरेंजमेंट या जो स्ट्रक्चर बनता है वह स्ट्रक्चर वहां पर है ।"

अब, डाक्टर लोहिया कहते हैं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है ।

I have ruled....

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ टनल के आक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी में क्या अर्थ है, उसे आधे सैकेन्ड में बतला दूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप मेरी बात सुन लें । इसकी जरूरत तो मुझे तब हो सकती है अब मैं इसका मतलब न समझ सका होऊं । तब मैं डिक्शनरी मीनिंग में जाऊं । लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसे समझ गया हूं ।

मैंने एक दफे फैसला दिया है कि एक मैम्बर का बयान करना, चाहे मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हों, या दूसरे मैम्बर हों, उसके बारे में अगर कोई दसरा मैम्बर खयाल करे कि वह गलत है या उसको फाल्स खयाल करे तो भी कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज पैदा नहीं होता । उसका इलाज तो यही है कि जो वह दुरुस्त समझता है उसको कहे । उस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में पहली बात तो यह है कि हाउस में ही माननीय सदस्य ऐतराज कर सकते थे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बात मुझे बाद में मालूम हुई तो मैं क्या करूं । सुरंग का पता लगाया कि सतलुज कहां है और नहर कहां है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर इतनी देर में लाया जाये तो यह प्रिविलेज मोशन नहीं बनता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब मालूम हुआ तभी तो मैं कुछ करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : तब क्या यह मेरा कुसूर था ? अब दूसरी बात ।

When a Member makes a statement knowing it to be false . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रधान मंत्री को सही बोलना सिखाइये ।

Mr. Speaker: When a Member makes a statement knowing it to be false, be he a Minister also, when it is within his knowledge that the facts are otherwise and then he makes as wrong statement having that knowledge and knowing it to be false, then alone a question of breach of privilege can arise. No wrong statement and no statement, even if it is considered false by any other Member, can give cause for a breach of privilege motion. Therefore, there is nothing of that sort in this modition, and, therefore, I disallow it.

Now, Papers to be Laid on the Table.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह प्रधान मंत्री ने जान बूझ कर असत्य बोला । उनको सब बात का पता था । और अगर पता नहीं था तो यह प्रधान मंत्री होने के लायक नहीं हैं । एक सैकेन्ड के लिये भी उनको प्रधान मंत्री नहीं रहना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं संविधान की दफा 105 के मुताबिक ....

अध्यक्ष महोदय : मेरे फैसले पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री मधु लिमये : मैं इस पर एक व्यवस्था का प्रश्न धारा 105 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं । आप मेरी बात सुन लें । यह विशेषाधिकार का मामला सदन के सामने आना चाहिये ।

Mr. Speaker: Order, order.

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रधान मंत्री जान बूझ कर झूठ बोलते चले जाते हैं और आप उनकी रक्षा करते हैं ।

Mr. Speaker: There ought to be some limit, Now, we should proceed with the next item.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप उनको भी तो कुछ सिखाइये ।

12.29 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AMENDMENTS TO KERALA SURVEY AND BOUNDARIES RULES

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): On behalf of Shri C. Subramaniam, I beg to lay on the Table a copy of Notification SRO. No. 286/65 published in Kerala Gazette dated the 20th July, 1965, making certain amendments to the Kerala Survey and Boundaries Rules, 1964, under sub-section (3) of section 22 of the Kerala Survey and Boundaries Act, 1961, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965, issued by the Vice-President discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala. [*Placed in Library. See* No. LT-5203/65].

NOTIFICATIONS UNDER MINES ACT, GOVERNMENT RESOLUTION ON SECOND WAGE BOARD FOR SUGAR INDUSTRY AND DOCK WORKERS (ADVISORY COMMITTEE) AMENDMENT RULES

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): I beg to lay on the Table . . .

(1) a copy each of the following Notifications under sub-section (7) of section 59 of the Mines Act, 1952:—

(i) The Metalliferous Mines (Amendment) Regulations, 1965, published in Notification No. GSR. 1581 in Gazettte of India dated the 30th October, 1965;

(ii) The Coal Mines Third (Amendment) Regulations, 1965, published in Notification No. GSR. 1602 in Gazette of India dated the 6th November, 1965;

(iii) The Coal Mines (Amendment) Regulations, 1965, published in Notification No. GSR. 1603 in Gazette of India dated the 6th November, 1965;

(iv) The Metalliferous Mines (Second Amendment) Regulations, 1965, published in Notification No. GSR. 1604 in Gezette of India dated the 6th November, 1965 [*Placed in Library, See* No LT-5204/65].

(2) a copy of the Dock Workers (Advisory Committee) Amendment Rules, 1965, published in Notification No. SO. 3525 in Gazette of India dated the 13th November, 1965, under sub-section (3), of section 8 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948. [*Placed in Library see* No. LT-5205/65.]

(3) a copy of Government Resolution No. WB-7(2)/65 dated the 16th November, 1965 setting up a Second Wage Board for the Sugar Industry. [*Placed in Library, see* No. LT-5206/65].

NOTIFICATIONS UNDER INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ACT.

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (3) of sec-